न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—84/20 (2020/00139) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोपीलाल पिता बरदा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—रेमत पिता बरदा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 20.08.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 96 में अकिंत आराजी संख्या 1495/711 रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत प्रार्थीगण की आराजियात में जाने का एकमात्र रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 1682/712 की पश्चिमी पाली पर पन्द्रह फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1495/711 में जाता है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में वर्षो से फसल काश्त कर रहे है तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल गाड़ी ट्रेक्टर आदि ले जाते है और खाद डालते आ रहे है। प्रार्थीगण के लिये अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर खुला पड़ा हुआ है परन्तु आये दिन अन्य व्यक्ति अवैध कब्जा कर रास्ते को बन्द कर देते है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण आराजी संख्या 1495/711 रकबा 1.08 है0 भूमि में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 1684/712 की पश्चिमी पाली पर पन्द्रह फीट चोड़ाई में बिलानाम सरकारी गे. मु. रास्ता दर्ज करने का ओदश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान कराया जाकर रास्ते के रूप मे काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 31.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से पत्रावली में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान का प्रयोग रास्ते के रूप में कर रहा है ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने कोई आपत्ति नही की।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम मासिंहपुरा की आराजी नम्बर 1495/711 रकबा 1. 06 है0 पर वर्तमान में आवागमन हेतु आराजी नम्बर 1682/712 किस्म गे.मु. रास्ता (बिलानाम गे.का.का.) मे से होकर आराजी नम्बर 1684/712 रकबा 1.15 है0 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे रास्ता बना हुआ है। मौके पर रास्ता खुला हुआ है। मौके पर उक्त रास्ते के अलावा कोई रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजी नम्बर 1495/711 रकबा 1.06 है0 पर आराजी नम्बर

1682/712 किस्म गे.मु. रास्ते मे से होकर आराजी नम्बर 1684/712 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार आवागमन होता है। उक्त रास्ते में खसरा नम्बर 1684/712 रकबा 1.15 है0 किस्म बिलानाम गै.का.का. का 36 गुणा 6 180 वर्गमीटर हिस्सा आता है। उक्त खसरा नम्बर की डीएलसी दप 52650 रूपये प्रति बीघा होने से 180 वर्गमीटर की किमत 4380 रूपये की दुगुनी राशि 8760 रूपये बनती है। वादीगण खातेदार आराजी नम्बर 1684/712 में रास्ता चाहता है जिसे राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर उक्त आराजी नम्बर 1495/711 रकबा 1.06 है0 में आवागमन का कोई अन्य रासता उपलब्ध नही है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थी वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहा है वह खसरा नम्बर 1684/712 रास्ते के रूप मे ही होकर बिलानाम गे.का.का. सरकार दर्ज रेकार्ड है जहां प्रार्थी का मौका रिपोर्ट के अनुसार आवागमन होता है ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मासिंहपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1684/712 रकबा 1.06 है0 मे से 180 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 52650 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त 180 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत किमत 4380 रूपये की दुगुनी राशि 8760 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर रास्ते हेतु प्रस्तावित 180 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-8-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—84/20 (2020/00139) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोपीलाल पिता बरदा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—रेमत पिता बरदा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मासिंहपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1684/712 रकबा 1.06 है0 मे से 180 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 52650 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त 180 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत किमत 4380 रूपये की दुगुनी राशि 8760 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर रास्ते हेतु प्रस्तावित 180 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

20-8-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 14:41:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: